न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 52 / 2024

1 मनोहरलाल पुत्र सोनाराम उम्र 42 साल जाति बलाई निवासी बालूराम गुर्जरों की ढाणी तन मोहनवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 भरत पुत्र रामकरण
2 दशरथ पुत्र रामकरण
3 रामकरण पुत्र सुरजा समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम कहारों की ढाणी तहसील व जिला सीकर।
4 पटवारी पटवार हल्का बाजौर तहसील व जिला सीकर।
5 उप पंजीयक सीकर।
6 तहसीलदार सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ. धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी सुश्री गरीमा लाटा आरएएस दावा संख्या 334 / 2022 उनवानी भरत आदि बनाम रामकरण आदि दिनांकित 24.01.2023

उपस्थिति :
1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रतनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 26/11/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 334/2022 में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 551 वाके ग्राम बाजोर पटवार हल्का बाजोर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 सीपीसी के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में बिना किसी दस्तावेज को प्रदर्शित करवाये बिना साक्ष्य में पढे जाने योग्य नहीं होने के बावजूद तथा बिना किसी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के ही अपीलाधीन वाद में वर्णित भूमियों को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 की पैत्रिक भूमियां होना प्रमाणित मानते हुए अवैध रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलान्ट प्रभावित व्यक्ति को सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदत्त किये बिना पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में वर्णित हक, हिस्से की भूमि अपीलांट की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रयशुदा भूमि है तथा अपीलान्ट क्रय की दिनांक 14.12.2011 से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में वर्णित हक, हिस्से की भूमि पर बहैसियत रिकार्डेड काबिज खातेदार, काश्तकार काबिज चला आ रहा है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा जानबुझकर अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना आपस में मिलीभगत के तहत दुरभिसंधियुक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांकित 24.01.2023 पारित करवाई है जिससे अपीलान्ट के हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे है। इस कारण अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील हितबद्ध पक्षकार की हैसियत से इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। इस संबंध में अलग से भी एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

3 द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलान्ट को बिना किसी तरह की सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं बिना पक्षकार बनाये बिना पारित की गई होने की वजह से अपीलान्ट को अपीलाधीन वाद एवं उसमें पारित निर्णय एवं डिक्री के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 जरिये वकील उपस्थित रहे। ईकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बावजूद विधिवत तामील के न्यायालय हाजा में अवस्थित नहीं रहने के कारण इनके खिलाफ कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2075 से 2084 के अनुसार विवादित आराजियात की खातेदारी में से 1/4 हिस्से की खातेदारी सुरजा पुत्र रूघा जाति बलाई मेघवंशी के नाम से दर्ज है। इस प्रकार से भूमि पैतृक होना प्रमाणित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 1 सूरजा का पुत्र है। जिनका हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत पैतृक भूमियों में जन्मजात हक व हिस्सा है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 दावा डिक्री किये जाने पर सहमत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 14.12.2011 नुमाईशी है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त नहीं है। विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट ने 2011 से 2024 तक कोई चाराजोही नहीं की है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 551 वाके ग्राम बाजोर पटवार हल्का बाजोर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया।

विचारण न्यायालय में वाद ग्राम बाजौर की भूमि खसरा नम्बर 551 में सुरजा पुत्र रूघा के 1/4 हिस्से की खातेदारी के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था। विवादित भूमि का 1/4 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार, काश्तकार सुरजा पुत्र रूघा जाति बलाई निवासी बाजौर तहसील व जिला सीकर रहा है। जिसने अपने जीवनकाल में ही पना 1/4 हक, हिस्सा अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान करके उक्त 1/4 हक, हिससे का वास्तविक एवं व्यावहारिक कब्जा, काश्त, अपीलान्ट को संभला दिया। इस निमित खातेदार सुरजा द्वारा दिनांक 14.12.2011 को विक्रय पत्र निष्पादित करवाकर कार्यालय उपपंजीयक सीकर के यहां उसी दिन पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 804 पृष्ठ संख्या 112 क्रम संख्या 2011015256 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2607 के पृष्ठ संख्या 106 से 113 पर पंजीकृत करवा दिया गया।

इस विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 04.06. 2012 को नामांतकरण संख्या 803 भरकर प्रस्तुत किया गया है। यह नामांतकरण दिनांक 11.03.2015 को सरपंच द्वारा बिना किसी विवेचन के खारिज किया गया है। स्पष्ट है कि विवादित भूमि का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार सुरजा द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 14.12.2011 को किया जा चुका है। इससे अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

विचारण न्यायालय में अपीलान्ट को वाद में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। अपीलान्ट को विचाराधीन निर्णय की पूर्व से जानकारी होने का तथ्य पत्रावली पर नहीं है। अतः न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचारण न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलांट प्रथम दृष्टया प्रभावित पक्षकार होना प्रकट है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को पक्षकार संयोजित कर जवाब दावा प्राप्त कर, तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.12.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 26/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर